न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2021

भारती ओझा.....वादिनी

बनाम

शारदा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.09.2022 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 17.02.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि वादिनी की तरफ से संशोधन आवेदन आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 02.09.2022 को दाखिल किया गया था। प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा अपने स्वत्व अधिकार की घोषणा तथा वादिनी के दस्तावेजी भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा किये गये खरीद बिक्री को शुन्य घोषित करने एवं वादिनी के दखल कब्जें में प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप पर रोक लगाने हेतु लाया है। प्रस्तुत वाद अभी प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु चल रहा है। प्रस्तुत वाद की नालिश में टाईपिस्ट की गलती से कुछ भूल हो गयी है। प्रतिवादीगण के नाम आशा देवी, गौदम देवी, जयकारी देवी, गुनराजी देवी के स्थान पर दूसरा नाम होशिला देवी, यमुना ओझा, कलावती देवी, रामसवारी देवी एवं गुलाबो देवी टंकित हो गया है। वाद के उचित निष्तारण हेतु श्रीमान् के समक्ष नालिश में सही तथ्य को उजागर करना न्यायहित में आवश्यक है। वादिनी के द्वारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01, 02 और 04 की ओर से दिनांक 16.12.2022 को वादिनी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादिनी का आवेदन खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि यह वाद पूर्णरूपेण स्वत्व वाद है तथा स्वत्व वाद में वादिनी ने वंशवृक्ष में संशोधन करने का	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2021

लगातार 17.02.2023	आवेदन दिया है। यह तथ्य वादिनी को वाद दाखिल करने के समय ही उपलब्ध था लेकिन किस वजह से यह तथ्य पूर्व में नही लाया गया। इस आधार पर भी वर्तमान संशोधन आवेदन खारिज योग्य है। वादिनी के द्वारा प्रतिवादीगणों को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत आवेदन दिया गया है। अतः वादिनी का संशोधन आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादिनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। वादिनी के द्वारा अगर सम्यक तत्परता बरती गयी होती तो यह संभावित है कि उक्त संशोधन की आवश्यकता नही पडती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादिनी का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 28.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	